BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 27 फरवरी, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 32 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त विनोद पुत्र महेन्द्र सिंह यादव निवासी ऊंचागांव बांगर थाना रामघाट जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2015 में थाना रामघाट क्षेत्र निवासी एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 07.03.2015 को थाना रामघाट पर मुअसं- 36/2015 धारा- 452/376डी/506 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 21.03.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 27.02.2024 को मा0 न्यायालय पोक्सो-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विनोद को 20 वर्ष का कारावास व 32 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील कुमार शर्मा व महेश राघव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर